संख्या-60/2015/156/22-4-15-48(37)/2000

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग लखनऊ दिनांक- 04 मार्च, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या- 25 के लेखाशीर्षक-2056-आयोजनेत्तर के अन्तर्गत 101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 03-मंहगाई भत्ता में उपलब्ध कुल बचत रू0 1700 लाख के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2056-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 41-भोजन व्यय मद में रू0 1000 लाख अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2597/बजट 2014-15 (पुनर्विनियोग), दिनांक- 29.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग़ृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या- 25- लेखाशीर्षक-2056-आयोजनेततर-101-जेल-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत 03- मंहगाई भत्ता में उपलब्ध कुल बचत रू0 1700 लाख के सापेक्ष लेखाशीर्षक- 2056-101-03-समस्त कारागार के अन्तगर्त मानक मद-41-भोजन व्यय मद में पुनर्विनियोग (प्रति संलग्न) के माध्यम से रू0 10,00,00,000/-(रूपया दस करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपरेक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय समय-समय निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाय। किसी दशा में नियमों का उल्लघंन न किया जाय।

---2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) शासकीय व्यय में मितव्यिता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

(4) महानिरीक्षक कारागार यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मानक मद 03-मंहगाई भत्ता के मद में वास्तव में बचत उपलब्ध है तथा वेतन तथा मंहगाई भत्ता के मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के लेखाशीर्ष-2056-101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद-41-भोजन व्यय मद के नामे डाला जायेगा तथा उक्त मद में उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्राशसकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-60/156(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in